

हम एक यूनिट एक पहचान संख्या की ओर अग्रसर हैं

भारत सरकार भिन्न श्रम प्रवर्तन एजेंसियों जैसे ई. एस. आई. सी / ई. पी. एफ. ओ. / मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) एवं खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा जारी किए जा रहे अलग अलग नियोक्ता कोडों की जगह केवल एक श्रम पहचान संख्या (LIN) जारी कर इनसे छुटकारा देने जा रही है। आपके व्यावसायिक इकाई एक LIN आवंटित किया जा चुका है जिसे आप <http://tinyurl.com/whatismylin> खोल कर जान सकते हैं। इससे पहले कि वर्तमान में प्रचलित नियोक्ता कोड बेकार हो जाएँ कृपया अपने लिन के साथ जुड़ी जानकारी को जाँच कर सत्यापित कर दें। सत्यापित करने के लिए प्रक्रिया <http://tinyurl.com/shramsuvindhahowto> पर दी गई है। किसी भी सहायता के लिए कृपया websupport-mol@nic.in पर सम्पर्क करें।

We Are Migrating To One Unit One Identifier

Government of India plans to do away with all employer codes being issued by separate Labour Enforcement Agencies such as ESIC, EPFO, O/O CIC(C) and DGMS etc by replacing them with new Labour Identification Number (LIN). Your unit has already been allotted a LIN and the same can be obtained online using <http://tinyurl.com/whatismylin> Please verify the information associated with your LIN before the current employer codes are rendered useless. The procedure to verify the information is given in <http://tinyurl.com/shramsuvindhahowto> For any support please contact websupport-mol@nic.in